

झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित  
सेवा में,

अरुण कुमार सिंह,  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक-09/05/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना मद अंतर्गत राज्य के 08 नगर निगमों में पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी/अभियन्ताओं के वेतनादि भुगतान हेतु प्राप्त मांग के आलोक में कुल 5,17,89,744/- रु० (पाँच करोड़ सत्तरह लाख नवासी हजार सात सौ चौवालीस रूपये) मात्र अनुदान राशि के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना मद अंतर्गत राज्य के 08 नगर निगमों में पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी/अभियन्ताओं के वेतनादि भुगतान हेतु प्राप्त मांग के आलोक में कुल 5,17,89,744/- रु० (पाँच करोड़ सत्तरह लाख नवासी हजार सात सौ चौवालीस रूपये) मात्र अनुदान राशि के आवंटन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

क्र०	निकाय का नाम	कुल आवंटित राशि	कोषागार का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
i	ii	iii	iv	v
1	धनबाद नगर निगम	1,06,21,248	धनबाद	नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी
2	चास नगर निगम	27,47,316	बोकारो	
3	राँची नगर निगम	2,74,70,404	राँची	
4	देवघर नगर निगम	43,80,484	देवघर	
5	आदित्यपुर नगर निगम	27,78,348	सरायकेला	
6	हजारीबाग नगर निगम	6,72,660	हजारीबाग	
7	मानगो नगर निगम	20,84,080	जमशेदपुर	
8	मेदिनीनगर नगर निगम	10,35,204	पलामू	
कुल आवंटित राशि		5,17,89,744	(पाँच करोड़ सत्तरह लाख नवासी हजार सात सौ चौवालीस रूपये)	

2. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या-48 के अधीन स्थापना मद के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-191-नगर निगम को सहायता- उपशीर्ष-40-शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते पर व्यय हेतु अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) (विपत्र कोड-48S221780191400646) के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि रु० 6,68,69,000/- से की जायेगी।

3. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त तालिका में निकाय के नाम के सम्मुख स्तंभ-v में उल्लेखित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी स्तंभ-iv में अंकित कोषागार/उपकोषागार से विपत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत की जायेगी।

4. स्वीकृत राशि विभाग के स्तर से पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी एवं अभियंताओं के वेतनादि के लिए है, जिनका पदस्थापन स्वीकृत पद के विरुद्ध किया गया है। विभाग स्तर से संविदा पर नियुक्त अभियंताओं को उक्त स्वीकृत राशि से इस शर्त पर वेतन देय होगा कि संबंधित अभियंता के नियुक्ति पत्र में वेतनादि का भुगतान विभाग स्तर से किये जाने का प्रावधान किया गया हो।

5. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:-

निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
धनबाद नगर निगम	56/20.06.16	5,000,000	5,000,000
	319/20.02.16	5,935,782	5,935,782
चास नगर निगम	245/09.01.17	1,800,996	1,800,996
राँची नगर निगम	384/22.03.16	925,098	925,098
	56/20.06.16	12,000,000	12,000,000
	114/19.08.16	203,123	203,123
	130/26.09.16	81,566	81,566
	245/09.01.17	174,060	174,060
देवघर नगर निगम	114/19.08.16	4,994,029	4,994,029
	384/22.03.17	210,898	210,898
आदित्यपुर नगर निगम	56/20.06.16	2,174,880	2,174,880
हजारीबाग नगर निगम	56/20.06.16	1,535,926	1,535,926
मानगो नगर निगम	58/20.06.16	2,405,616	2,405,616
मेदिनीनगर नगर निगम	57/20.06.16	1,320,000	1,320,000
	246/09.01.17	217,613	217,613
	318/20.02.17	30,850	30,850

6. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 की कंडिका-5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् झारखण्ड कोषागार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित विपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. स्वीकृत अनुदान की राशि की निकासी/व्यय वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561/वि., दि०-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश के आलोक में नियम-संगत तरीके से की जायेगी तथा इस राशि से राज्य गठन के पूर्व का बकाया भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. स्वीकृत अनुदान राशि से निकाय के संबंधित पदाधिकारी एवं अभियन्ता के वेतनादि (यात्रा भत्ता सहित), बकाया वेतन एवं अन्य भत्ता का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा और वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरांत राशि अवशेष रह जाती है, तो उसे ससमय प्रत्यर्पित किया जायेगा।

9. संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आवंटित राशि के भुगतान के पश्चात् व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को उपलब्ध करायेंगे।


10. संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के बजट संबंधित धाराओं का अनुपालन करते हुए राशि का आहरण करेंगे। साथ ही निकाय के लेखा में राशि को सम्मिलित करने के पश्चात् नियमानुसार व्यय करेंगे।

11. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच-पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दि०-20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।


विश्वासभाजन

  
(अरुण कुमार सिंह)<sup>19</sup>

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-2/न०वि०/स्था०व्यय०/पदा० वेतन/न०नि०/115/2018-.....<sup>21</sup> राँची, दि०-09/05/18

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/संथाल परगना, दुमका/कोल्हान, चाईबासा/पलामू, मेदिनीनगर/उपायुक्त, राँची, धनबाद, देवघर, सरायकेला खरसावाँ, बोकारो, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम एवं पलामू/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखण्ड, राँची/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, राँची, धनबाद, देवघर, चास, हजारीबाग, मेदिनीनगर, मानगो एवं आदित्यपुर नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, जिला. कोषागार/उपकोषागार, राँची, धनबाद, देवघर, सरायकेला, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं पलामू/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ऑनलाईन आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।